

नूँह ज़ल्लि के फतेहपुर गाँव में वाहन स्क्रैपिंग फेसलिटी सेंटर का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

10 मई, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतनि गडकरी ने नूँह ज़ल्लि के फतेहपुर गाँव में रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग फेसलिटी सेंटर का उद्घाटन किया।

प्रमुख बडि

- इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी से प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी।
- इस नीति से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कौपर, स्टील, एल्युमीनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति (**Vehicle Scrapping Policy**) की घोषणा की गई थी, जिसके प्रमुख बडि निम्नलिखित हैं-
- पुनः पंजीकरण कराने से पूर्व 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणज्यिक वाहनों और 20 वर्ष से अधिक पुराने नजी वाहनों को एक फटिनेस टेस्ट पास करना होगा।
- पुराने वाहनों का परीक्षण स्वचालित फटिनेस केंद्र में किया जाएगा, यहाँ वाहनों का फटिनेस टेस्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों पर किया जाएगा।
- राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि नजी वाहनों के लिये 25% तक और व्यावसायिक वाहनों हेतु 15% तक रोड-टैक्स में छूट प्रदान करें ताकि पुराने वाहनों के मालिकों को पुराने तथा अनफटि वाहनों को हटाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके।
- वाहन नरिमाताओं द्वारा 'स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट' दिखाने वालों को नई गाड़ी लेने पर 5% की छूट दी जाएगी, साथ ही नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी छूट दी जाएगी।
- 15 वर्ष या इससे पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण शुल्क को बढ़ाकर ऐसे वाहनों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।